पशुपालन निदेशालय, बिहार

बिहार सरकार

ई-मेल - dirahd-bih@nic.in वेबसाइट - ahd.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक – 12नि०/प०ग० (लो०सू०) 42 /2018 प०पा दिनांक –

प्रेषक,

अवकाश रक्षित पदाधिकारी–सह–
लोक सूचना पदाधिकारी,
पशुपालन निदेशालय,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय निदेशक,
पशुपालन, (केन्द्रीय परिक्षेत्र पटना को छोड़कर),
बिहार, पटना।

विषय :– सूचना के अधिकार अधिनियम –2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– पशुपालन निदेशालय के पत्रांक–1394 (नि०) दिनांक–14.05.2018,1728(नि०) दिनांक–08.06.2018.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया स्मरण करें। सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदक श्री अरविन्द कुमार ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में समेकित, बकरी एवं भेड विकास योजना के अन्तर्गत कितने स्वलागत अभ्यार्थियों का चयन किया गया है के संबंध में सूचना की मांग की है। प्रासंगिक पत्र द्वारा आपको आवेदक श्री अरविन्द कुमार, मोहनपुर, पुनाईचक, पम्प हाउस के पश्चिम, पटना–23 को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध किये जाने हेतु आपसे अनुरोध किया गया था। तथापि आपके स्तर से अनुपालन अपेक्षित है।

अतः आपको स्मारित किया जाता है कि आवेदक को वांछित सूचना सात दिन के अन्दर उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। विदित हो कि दिनांक–15.06.2018 को अपील सुनवाई के दौरान अपर सचिव–सह –प्रथम अपीलीय पदाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया है कि आवेदक को एक सप्ताह के अन्दर सूचना उपलब्ध करा दी जाए एवं अगली सुनवाई की तिथि दिनांक–25.06.2018 को 3.30 बजे निर्धारित है।

कृपया इसे आवश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन
ह०/–
लोक सूचना पदाधिकारी
पशुपालन निदेशालय
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–12नि०/प०ग० (लो०सू०) 42/2018 प०पा 1828 (नि०) पटना–15, दिनांक– 19/06/2018

प्रतिलिपिः–अपर सचिव–सह–प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को आपके कार्यालय ज्ञापांक– 84 दिनांक–18.06.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री अरविन्द कुमार, मोहनपुर, पुनाईचक, पम्पहाउस के पश्चिम, पटना–23 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई०टी०मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को ई–मेल (विभागीय बेवसाइट) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19.6.2018

लोक सूचना पदाधिकारी।